लक्ष्मीनारायण बनाम सीताराम

283/24

2/1/25 पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अत पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 16/1/25 को पेश हों।

16/1/25 पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अत पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 30/1/25 को पेश हों।

30/1/25 पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उप0 तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट अनुसार दो गवाह महेन्द्र व गोपाल के सामने प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 ने नोटिस लेने से मना कर दिया। प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती है। वास्ते साक्ष्य वादी हेतु दिनांक 7/2/25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

7/2/25 पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अत पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 14/2/25 को पेश हों।

14/2/25 पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। वादी की साक्ष्य वादी हेतु दिनांक 19/3/25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

19/3/25 पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उप0 वादीगण ने साक्ष्य में शपथ पत्र मुकेश, गणेश, लक्ष्मीनारायण, श्योजीराम व रुडीदेवी के पेश किये। बा.कि.बो. अंत जवाब को आगामी पेशी पर आवश्यक रूप से उपस्थित करें। पत्रावली दिनांक 4/4/25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी

फर्द अहकाम

बनाम

...म न्यायालय

...संख्या

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	04/04/25	पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 21/4/25 को पेश हों।	
	21/4/25	पत्रावली पेश हुई वकील वादीगण उपस्थित वादी का साक्ष्य पेश नहीं करने पर साक्ष्य वादी बन्द किया जाता है। वास्ते बहस वादी हेतु पत्रावली दिनांक 30/4/25 को पेश करने हेतु। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय	
	30/4/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। वादीगण का वाद डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र : 203/2024
निर्णय दिनांक : 30.04.2025

उनवान

1. लक्ष्मीनारायण पुत्र स्व० रामू उर्फ रामलाल
2. गणेश पुत्र स्व० रामू उर्फ रामलाल
3. श्योजीराम पुत्र स्व० रामू उर्फ रामलाल
4. मुकेश पुत्र स्व० रामू उर्फ रामलाल
5. श्रीमती रूड़ीदेवी पत्नि स्व० रामू उर्फ रामलाल

समस्त जाति अहीर (यादव) निवासी ग्राम शिकारपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान ।

वादीगण

बनाम

1. सीताराम पुत्र स्व० नानू
2. बाबूलाल पुत्र स्व० नानू
3. श्रीनारायण पुत्र स्व० नानू
4. लक्ष्मीनारायण पुत्र स्व० नानू
5. गोपाललाल पुत्र स्व० रामनारायण (पौत्र स्व० नानू)
6. कालूराम पुत्र स्व० रामनारायण (पौत्र स्व० नानू)

समस्त जाति अहीर (यादव) निवासी ग्राम शिकारपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान ।

7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सांगानेर, जिला जयपुर।
8. उप पंजीयक, सांगानेर–प्रथम, पंजीयन विभाग, सांगानेर, जिला जयपुर।

प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् घोषणा खातेदारी हक हकूक, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

वादीगण ने दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् घोषणा खातेदारी हक हकूक, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया जिसका सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम शिकारपुरा, पटवार हल्का शिकारपुरा, भू०अ० निरीक्षक क्षेत्र शिकारपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर की सरहद में खाता संख्या नया 186 पुराना 174 के अर्न्तगत कृषि भूमि खसरा नम्बर 928 रकबा 0.14 हैक्टेयर स्थित है। उक्त वर्णित हाल खसरा नम्बर 928 रकबा 0.14 हैक्टेयर के साबिक खसरा नम्बर 749/930 रकबा 11 बिस्वा था। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि को एतदपश्चात "विवादित भूमि" शब्द से सम्बोधित किया जा रहा है। वादी संख्या 1 ता 4 के पिता व वादिया संख्या 5 के पति श्री रामू पुत्र रामनाथ का देहान्त दिनांक 07.01.2022 को हो चुका है। वादी के पिता/पति स्व0 रामू पुत्र रामनाथ ने अपने जीवनकाल में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 के पूर्वज स्व0 नावू पुत्र जौधा जो कि उक्त भूमि का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार था, से लिपिबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 10.06.1981 (रजिस्टर्ड दिनांक 30 जून रान् 1981) के

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

जरिये खसरा नम्बर 749/930 रकबा 11 बिस्वा को क्रय कर मौके पर कब्जा प्राप्त कर लिया था। उक्त विक्रय पत्र कार्यालय उप पंजीयक, सांगानेर के यहाँ दिनांक 30 जून, 1981 को पुस्तक संख्या जिल्द संख्या 73 क्रम संख्या 357 पृष्ठ संख्या 149 से 151 पर पंजीबद्ध किया हुआ है। वादीगण के पिता/पति रामू ने प्रतिवादीगण के पिता/दादा नानू को विवादित भूमि की मुल्यवान प्रतिफल राशि का भुगतान करके क्रय कर मौके पर वास्तविक एंव मालिकाना भौतिक कब्जा प्राप्त किया था। वादीगण के पिता/पति विवादित भूमि के सद्भाविक क्रेता (बोनाफाईड परचेजर) रहे है। वादीगण के पिता/पति जीवनभर उक्त वर्णित भूमि पर काविज काश्त रहे और उनके देहान्त के पश्चात वादीगण निरन्तर काविज काश्त चले आ रहें है। वादीगण ने उक्त भूमि में खामघर/टीनशेड बना रखे है तथा पक्की बाउण्ड्री वॉल से उक्त भूमि को महफूज कर रखा है। इस प्रकार विवादित भूमि वादीगण की पैतृक सम्पत्ति है। जिसमें वादीगण के वारिस व उत्तराधिकारी की हैसियत में कानूनी हक हकूक व अधिकार निहित चले आ रहें है। प्रतिवादीगण का विवादित भूमि से कोई सम्बन्ध, सरोकार, वास्ता, लेना-देना नहीं है। प्रतिवादीगण का विवादित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है। वादीगण के पिता/पति स्व0 रामू अशिक्षित थे जो ग्रामीण परिवेश के भोले भाले स्वभाव के किसान थे, जिनको कानूनी ज्ञान नहीं था कि विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत करवा कर खातेदारी दर्ज करवानी होती है तथा उक्त विक्रय पत्र को ही अपनी खातेदारी मानते रहे। वादीगण इस विश्वास में थे कि उक्त विक्रय पत्र के आधार पर उनके पिता/पति स्व0 रामू के नाम से नामान्तरकरण स्वीकृत होकर खातेदारी दर्ज चली आ रही है। वादीगण के पिता/पति रामू का देहान्त दिनांक 07.01.2022 को होने के पश्चात स्व0 रामू द्वारा छोड़ी गई कृषि भूमियो की विरासत का नामान्तरकरण स्वीकृत कराने हेतु वादीगण ने हल्का पटवारी से सम्पर्क किया तो हल्का पटवारी ने रिकार्ड देखकर बताया कि हाल खसरा नम्बर 928 रकबा 0.14 हैक्टेयर की खातेदारी स्व० नानू पुत्र जौधा अहीर के वारिसान (प्रतिवादीगण) के नाम से दर्ज रिकार्ड चली आ रही है। वादीगण उक्त बात सुनकर आश्चर्यचकित एंव दुःखी हो गये। वादीगण ने प्रतिवादीगण से सम्पर्क किया और उक्त विक्रय पत्र के आधार पर उक्त भूमि का नामान्तरकरण वादीगण के पक्ष में स्वीकृत कराने हेतु तहसीलदार, सांगानेर के समक्ष चलकर सहमति प्रदान करने हेतु निवेदन किया तो प्रतिवादीगण पूर्व में तो हामी भरते रहे और कहते रहे कि आप अपने पिताजी के समय से ही वक्त खरीद से लेकर आज तक निखार उक्त भूमि पर काविज काश्त चले आ रहे है, हम हमारी सुविधानुसार कभी भी आपके हक में नामान्तरकरण स्वीकृ त करवा देगे। वादीगण ने बार-बार आग्रह किया तो बार-बार उक्त आश्वासन देते रहे और टालमटोली करके समय जाया करते रहे। चूंकि उक्त कृषि भूमि बेशकीमती है इसलिये अब प्रतिवादीगण की नियत में खोट व बेईमानी आ गई है और दिनांक 23.04.2024 को प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि का नामान्तरकरण वादीगण के हक में स्वीकृत कराने हेतु तहसील में चलने से इन्कार कर दिया और वादीगण को ऐलानियां धमकी दी कि हम अपने नाम से दर्ज खातेदारी प्रविष्टियो के आधार पर तुम्हे बाहुबल व भूजबल के आधार पर उक्त भूमि से बेदखल करेगे और हमारे नाम से दर्ज खातेदारी प्रविष्टियो के आधार पर दीगरान् लठैत व भूमाफिया गिरोह को बैनाम, हस्तान्तरण, अनुबन्ध, बख्शीश, वसीयत, रहन, मोरगेज इत्यादि को बैनाम करेगे तथा दीगरान को आम व खास मुखत्यार नियुक्त करेगे। जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। वादीगण की ओर से राजस्व अभिलेखो की प्रमाणित प्रतिलिपियो हेतु आवेदन करने पर दिनांक 25.04.2024 व 26.04.2024 व उक्त विक्रय

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 29.04.2024 को प्राप्त हुई तथा नामान्तरकरण संख्या 440 की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 04.05.2024 को प्राप्त हुई तब वादीगण को उक्त नामान्तरकरण व उसके आधार पर दर्ज खातेदारी प्रविष्टियों की पुख्ता जानकारी हुई. इससे पूर्व उक्त नामान्तरकरण व उसके आधार पर दर्ज खातेदारी प्रविष्टियो की कोई जानकारी नहीं थी। वादीगण की ओर से उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध सक्षम न्यायालय मे अपील अर्न्तगत धारा 75 एल.आर.एक्ट के तहत पेश कर दी है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 व स्व0 बद्री पुत्र स्व0 नानू ने तहसीलदार, सांगानेर से साजबाज करके, अनाधिकृत रूप से, अवैध व गैरकानूनी तरीके से उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत करवाकर गलत खातेदारी प्रविष्टियां दर्ज करवाई है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 व स्व0 बद्री पुत्र स्व0 नानू का विवादित भूमि से कोई संबंध, सरोकार, वास्ता नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 व स्व0 बद्री पुत्र स्व0 नानू का उक्त भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं था और ना ही कभी रहा है और ना ही वर्तमान में है। उक्त गैरकानूनी व अवैध नामान्तरकरण स्वीकृति करने से पूर्व एंव उक्त अवैध नामान्तरकरण के आधार गलत पर व गैरकानूनी खातेदारी प्रविष्टियां दर्ज करने से पूर्व मौके पर वादीगण के पिता/पति रामू उर्फ रामनाथ काबिज रामलाल पुत्र कौम अहीर सद्भाविक क्रेता को व वादीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये बिना ही, साक्ष्य सबूत व पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना ही नामान्तरकरण स्वीकृत करके गलत खातेदारी प्रविष्टियां दर्ज की गई है जो प्रारम्भ से शुन्य व अवैध है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 को भलीभांति जानकारी थी कि उनके पूर्वज स्व० नानू पुत्र स्व0 जौधा ने अपने जीवनकाल में ही उक्त भूमि को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से वादीगण के पिता/पति को विक्रय करके मौके पर रामू को वास्तविक एंव मालिकाना भौतिक कब्जा वाकई सौंप दिया था। जिस पर स्व0 रामू जीवनभर काबिज काश्त रहा था और उनके देहान्त के पश्चात वादीगण निरन्तर काबिज काश्त चले आ रहें है। इसके बावजूद भी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 व इनके स्व0 भाई बद्री ने तहसीलदार, सांगानेर से सांठगांठ करके गलत, गैरकानूनी व विधि विरूद्ध नामान्तरकरण स्वीकृत करवाकर गलत खातेदारी प्रविष्टियां दर्ज करवाई गई है जो अनाधिकृत है तथा वादीगण के अधिकारो के विरुद्ध प्रारम्भ से शुन्य व अवैध है। प्रतिवादीगण के पूर्वज स्व0 नानू ने अपने जीवनकाल में एंव उनके देहान्त के पश्चात प्रतिवादीगण ने उक्त विक्रय पत्र को किसी भी सक्षम सिविल न्यायालय में चुनौती नहीं दी है और ना ही किसी भी सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा उक्त विक्रय पत्र को निरस्त/रद्ध घोषित किया गया है। उक्त विक्रय पत्र प्रभावशील व वैध है। जिसके आधार पर वादीगण विवादित भूमि की खातेदारी घोषणा कराने के अधिकारी है। उक्त विक्रय पत्र निष्पादन दिनांक 10 जून, 1981 (पंजीयन दिनांक 30 जून, 1981) के आधार पर उक्त भूमि पर वादीगण के पिता/पति रामू जीवनभर काबिज काश्त रहे और उनके देहान्त के पश्चात वादीगण निरन्तर काबिज काश्त चले आ रहें है। प्रतिवादीगण का विवादित भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। प्रतिवादीगण का विवादित भूमि से कोई संबंध, सरोकार, वास्ता नहीं है। उक्त विक्रय पत्र एंव मौके पर कब्जे के आधार पर प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज गलत खातेदारी प्रविष्टियां वादीगण के अधिकारो के विरुद्ध प्रारम्भ से शुन्य व अवैध है जो हजफ किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 व स्व0 बद्री पुत्र स्व0 नानू ने तहसीलदार, सांगानेर से साजबाज करके, गैरकानूनी तरीके से अनाधिकृत रूप से, अवैध व गलत खातेदारी प्रविष्टियां दर्ज करवाई है जो कत्तई गैरकानूनी व विधि विरुद्ध होने के कारण वादीगण के अधिकारो के विरुद्ध प्रारम्भ से शुन्य है। उक्त

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर स्व रामू उर्फ रामलाल पुत्र रामनाथ अहीर विवादित भूमि का सद्भाविक क्रेता (बोनाफाईड परचेजर) रहा है तथा वादीगण स्व० रामू उर्फ रामलाल के वारिसान व उत्तराधिकारी है। इसलिये उक्त विक्रय पत्र के आधार पर खातेदारी घोषणा कराने के अधिकारी है। विवादित भूमि के उक्त नामान्तरकरण व जमाबन्दी मे दर्ज बदी पुत्र स्व0 नानू अविवाहित फौत हो चुका है जिसके कोई वारिसान नहीं है। उपरोक्त वर्णित तथ्यो, परिस्थितियो व प्रलेखीय साक्ष्यो के आधार पर वादीगण इन्द्राज दुरूस्ती व खातेदारी घोषणा की डिक्री इस आशय की प्राप्त करने के अधिकारी है कि, राजस्व ग्राम शिकारपुरा, पटवार हल्का शिकारपुरा, भू0अ0 निरीक्षक क्षेत्र शिकारपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर की सरहद में खाता संख्या नया 186 पुराना 174 के अर्न्तगत स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 928 रकबा 0.14 हैक्टेयर जो कि साबिक खसरा नम्बर 749/930 रकबा 11 बिस्वा से बने है, के समस्त राजस्व अभिलेखो में प्रतिवादीगण के नाम की खातेदारी प्रविष्टियो को हजफ किया जाकर प्रतिवादीगण के पिता/दादा नानू द्वारा वादीगण के पिता/पति रामू के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक 10 जून, 1981 (पंजीयन दिनांक 30 जून, 1981) के आधार पर वादीगण को उक्त कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। वादीगण के पिता/पति स्व0 रामू अशिक्षित थे जो ग्रामीण परिवेश के भोले भाले स्वभाव के किसान थे, जिनको कानूनी ज्ञान नहीं था कि विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत करवा कर खातेदारी दर्ज करवानी होती है तथा उक्त विक्रय पत्र को ही अपनी खातेदारी मानते रहे। वादीगण इस विश्वास में थे कि उक्त विक्रय पत्र रामू के के आधार पर उनके पिता/पति स्व० नाम से नामान्तरकरण स्वीकृत होकर खातेदारी दर्ज चली आ रही है। विवादित नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व मौके पर काबिज वादीगण के पिता/पति रामू को एंव वादीगण को सुनवाई हेतु कोई नोटिस नहीं दिया गया, सुनवाई व साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। वादीगण के पिता/पति रामू का देहान्त दिनांक 07.01.2022 को होने के पश्चात स्व० रामू द्वारा छोड़ी गई कृषि भूमियो की विरासत का नामान्तरकरण स्वीकृत कराने हेतु वादीगण ने हल्का पटवारी से सम्पर्क किया तो हल्का पटवारी ने रिकार्ड देखकर बताया कि हाल खसरा नम्बर 928 रकबा 0.14 हैक्टेयर की खातेदारी स्व0 नानू पुत्र जौधा अहीर के वारिसान (प्रतिवादीगण) के नाम से दर्ज रिकार्ड चली आ रही है। वादीगण उक्त बात सुनकर आश्चर्यचकित एंव दुःखी हो गये। वादीगण ने प्रतिवादीगण से सम्पर्क किया और उक्त विक्रय पत्र के आधार पर उक्त भूमि का नामान्तरकरण वादीगण के पक्ष में स्वीकृत कराने हेतु तहसीलदार, सांगानेर के समक्ष चलकर सहमति प्रदान करने हेतु निवेदन किया तो प्रतिवादीगण पूर्व में तो हामी भरते रहे और कहते रहे कि आप अपने पिताजी के समय से ही वक्त खरीद से लेकर आज तक निरन्तर उक्त भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे है, हम हमारी सुविधानुसार कभी भी आपके हक में नामान्तरकरण स्वीकृत करवा देगे। वादीगण ने बार–बार आग्रह किया तो बार–बार उक्त आश्वासन देते रहे और टालमटोली करके समय जाया करते रहे। चूँकि उक्त कृषि भूमि बेशकीमती है इसलिये अब प्रतिवादीगण की नियत में खोट व बेईमानी आ गई है और दिनांक 23.04.2024 को प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि का नामान्तरकरण वादीगण के हक में स्वीकृत कराने हेतु तहसील में चलने से इन्कार कर दिया और वादीगण को ऐलानियां धमकी दी कि हम अपने नाम से दर्ज खातेदारी प्रविष्टियो के आधार पर तुम्हे बाहुबल व भूजबल के आधार पर उक्त भूमि से बेदखल करेगें और हमारे नाम से दर्ज खातेदारी प्रविष्टियो के आधार पर दीगरान् लठैत व भूमाफिया गिरोह को बैचान, हस्तान्तरण,

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

अनुबन्ध, बख्शीश, वसीयत, रहन, मोरगेज इत्यादि को बैचान करेगे तथा दीगरान को आम व खास मुखत्यार नियुक्त करेगे। जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही है। प्रतिवादीगण अपनी बैजा गैरकानूनी हरकतो से बाज नही आ रहे है। ऐसी स्थिति में वादीगण माननीय न्यायालय हाजा के जरिये प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित कराने के अधिकारी है कि राजस्व ग्राम शिकारपुरा, पटवार हल्का शिकारपुरा, भू0अ0 निशेक्षक क्षेत्र शिकारपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर की सरहद में खाता संख्या नया 186 पुराना 174 के अर्न्तगत स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 928 रकबा 0.14 हैक्टेयर जो कि सात्विक खसरा नम्बर 749/930 रकबा 11 बिस्वा से बने है, को अथवा उसके किसी भी अंश व भाग को प्रतिवादीगण अपने नाम से दर्ज गलत खातेदारी प्रविष्टियो के हस्तान्तरण, पर आधार दीगरान् को बैचान, अनुबन्ध, बख्शीश, वसीयत, रहन, लाभ व उपभोग मे किसी प्रकार से निषेध रहे तथा दीगरन को आम व खास मुखत्यार नियुक्त करने से निषेध रहे तथा किसी भी प्रकार का कोई हस्तान्तरणीय आलेख्य पत्र का निष्कासन व नामांकन से निषेध रहे तथा वैश्वीकरण के शांति डिक्सन बिजनेस काश्त, उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की अपनी बाधा, हस्तक्षेप, मदाखलत, मजाहमत में शामिल होने तथा करने से निषेध रहे परिवारजनो, एजेन्ट, सर्वेस्टेंट, प्रतिनिधि ए.सी. को भी निषेध याद रखें। वादहेतुक वादीगण के पिता/पति रामू का देहान्त दिनांक 07.01.2022 को होने के पश्चात स्व० रामू द्वारा छोडी गई कृषि भूमियो की विरासत का नामान्तरकरण स्वीकृत कराने हेतु वादीगण ने हल्का पटवारी से सम्पर्क किया तो हल्का पटवारी ने रिकार्ड देखकर बताया कि हाल खसरा नम्बर 928 रकबा 0.14 हैक्टेयर की खातेदारी स्व0 नानू पुत्र जौधा अहीर के वारिसान (प्रतिवादीगण) के नाम से दर्ज रिकार्ड चली आ रही है। वादीगण उक्त बात सुनकर आश्चर्यचकित एंव दुःखी हो गये। वादीगण ने प्रतिवादीगण से सम्पर्क किया और उक्त विक्रय पत्र के आधार पर उक्त भूमि का नामान्तरकरण वादीगण के पक्ष में स्वीकृत कराने हेतु तहसीलदार, सांगानेर के समक्ष चलकर सहमति प्रदान करने हेतु निवेदन किया तो प्रतिवादीगण पूर्व में तो हामी भरते रहे और कहते रहे कि आप अपने पिताजी के समय से ही वक्त खरीद से लेकर आज तक निरन्तर उक्त भूमि पर काबिज काश्त चले 31 रहे है, हम हमारी सुविधानुसार कभी भी आपके हक में नामान्तरकरण स्वीकृत करवा देगे। वादीगण ने बार–बार आग्रह किया तो बार–बार उक्त आश्वासन देते रहे और टालमटोली करके समय जाया करते रहे। चूँकि उक्त कृषि भूमि बेशकीमती है इसलिये अब प्रतिवादीगण की नियत में खोट व बेईमानी आ गई है और दिनांक 23.04.2024 को प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि का नामान्तरकरण वादीगण के हक में स्वीकृत कराने हेतु तहसील में चलने से इन्कार कर दिया और वादीगण को ऐलानियां धमकी दी कि हम अपने नाम से दर्ज खातेदारी प्रविष्टियो के आधार पर तुम्हे बाहुबल व भूजबल के आधार पर उक्त भूमि से बेदखल करेगें और हमारे नाम से दर्ज खातेदारी प्रविष्टियो के आधार पर दीगरान् लठैत व भूमाफिया गिरोह को बैचान, हस्तान्तरण, अनुबन्ध, बख्शीश, वसीयत, रहन, मोरगेज इत्यादि को बैचान करेगे तथा दीगरान को आम व खास मुखत्यार नियुक्त करेगे। इस प्रकार निरन्तर वादहेतुक जारी है। वाद आपातकालीन प्रकृति है क्योंकि प्रतिवादीगण अपने नाम से दर्ज गलत खातेदारी प्रविष्टियो के आधार पर विवादित भूमि को बैचान, हस्तान्तरण, रहन, बय इत्यादि करने व वादीगण को बाहुबल व भूजबल के आधार पर बेदखल करने की फिराक में है। ऐसी स्थिति में राज0 सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर तथा उप पंजीयक, सांगानेर प्रथम को धारा 80 सी.पी.सी. के तहत नोटिस दिये बिना ही वाद संस्थित

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

किया गया है। उक्त नोटिस की छूट प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 80(2) सी0पी0सी0 पृथक से प्रस्तुत है। जिसमें वर्णित तथ्यो के आधार पर उक्त नोटिस की छूट प्रदान करते हुए वाद संस्थित करने की अनुमति प्रदान किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

अतः वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार फरमाया जाकर इस आशय से डिक्री फरमाया जावे कि इन्द्राज दुरूस्ती व खातेदारी घोषणा की डिक्री इस आशय की प्राप्त करने के अधिकारी है कि, राजस्व ग्राम शिकारपुरा, पटवार हल्का शिकारपुरा, भू0अ0 निरीक्षक क्षेत्र शिकारपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर की सरहद में खाता संख्या नया 186 पुराना 174 के अर्न्तगत स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 928 रकबा 0.14 हैक्टेयर जो कि साबिक खसरा नम्बर 749/930 रकबा 11 बिस्वा से बने है, के समस्त राजस्व अभिलेखो में प्रतिवादीगण के नाम की खातेदारी प्रविष्टियो को हज्फ किया जाकर प्रतिवादीगण के पिता/दादा नानू द्वारा वादीगण के पिता/पति रामू के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक 10 जून, 1981 (पंजीयन दिनांक 30 जून, 1981) के आधार पर वादीगण को उक्त कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे । स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी फरमाई जावे कि राजस्व ग्राम शिकारपुरा, पटवार हल्का शिकारपुरा, भू०अ० निरीक्षक क्षेत्र शिकारपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर की सरहद में खाता संख्या नया 186 पुराना 174 के अर्न्तगत स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 928 रकबा 0.14 हैक्टेयर जो कि साबिक खसरा नम्बर 749/930 रकबा 11 बिस्वा से बने है, को अथवा उसके किसी भी अंश व भाग को प्रतिवादीगण अपने नाम से दर्ज गलत खातेदारी प्रविष्टियो के आधार पर दीगरान् को बैचान, हस्तान्तरण, अनुबन्ध, बख्शीश, वसीयत, रहन, मोरगेज इत्यादि करने से निषेद्ध रहे तथा दीगरान् को आम व खास मुखत्यार नियुक्त करने से निषेद्ध रहे तथा किसी भी प्रकार का कोई हस्तान्तरणीय लेख्य पत्र का निष्पादन व पंजीयन करने/कराने से निषेद्ध रहे तथा शान्तिपूर्वक कब्जे काश्त, उपयोग व किसी प्रकार की बाधा, हस्तक्षेप, वादीगण के उपभोग में मदाखलत, मजाहमत इत्यादि करने से निषेद्ध रहे तथा अपने परिवारजनो, एजेण्ट, सर्वेण्ट, प्रतिनिधि इत्यादि को भी निषेद्ध रखे ।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। वकील वादीगण उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 बावजूद डॉक रजिस्टर्ड तामिल सूचना अनुपस्थित। दिनांक 30.01.2025 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाने के आदेश दिये गये। वादीगण ने साक्ष्य मय शपथ पत्र पेश किया शा.मि. की गई व दिनांक 25.04.2025 को पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

बहस पत्रावली में सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता वादीगण ने वाद में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं निवेदन किया कि इन्द्राज दुरूस्ती व खातेदारी घोषणा की डिक्री इस आशय की प्राप्त करने के अधिकारी है कि, राजस्व ग्राम शिकारपुरा, पटवार हल्का शिकारपुरा, भू0अ0 निरीक्षक क्षेत्र शिकारपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर की सरहद में खाता संख्या नया 186 पुराना 174 के अर्न्तगत स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 928 रकबा 0.14 हैक्टेयर जो कि साबिक खसरा नम्बर 749/930 रकबा 11 बिस्वा से बने है, के समस्त राजस्व अभिलेखो में प्रतिवादीगण के नाम की खातेदारी प्रविष्टियो को हज्फ किया जाकर प्रतिवादीगण के पिता/दादा नानू द्वारा वादीगण के पिता/पति रामू के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक 10 जून, 1981 (पंजीयन दिनांक 30 जून, 1981) के आधार पर वादीगण को उक्त कृषि भूमि का खातेदार

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर डिनीय (सांगानेर)

काश्तकार घोषित किया जावे । स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी फरमाई जावे कि राजस्व ग्राम शिकारपुरा, पटवार हल्का शिकारपुरा, भू०अ० निरीक्षक क्षेत्र शिकारपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर की सरहद में खाता संख्या नया 186 पुराना 174 के अर्न्तगत स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 928 रकबा 0.14 हैक्टेयर जो कि साबिक खसरा नम्बर 749/930 रकबा 11 बिस्वा से बने है, को अथवा उसके किसी भी अंश व भाग को प्रतिवादीगण अपने नाम से दर्ज गलत खातेदारी प्रविष्टियो के आधार पर दीगरान को बैचान, हस्तान्तरण, अनुबन्ध, बख्शीश, वसीयत, रहन, मोरगेज इत्यादि करने से निषेद्ध रहे तथा दीगरान को आम व खास मुखत्यार नियुक्त करने से निषेद्ध रहे तथा किसी भी प्रकार का कोई हस्तान्तरणीय लेख्य पत्र का निष्पादन व पंजीयन करने/कराने से निषेद्ध रहे तथा शान्तिपूर्वक कब्जे काश्त, उपयोग व किसी प्रकार की बाधा, हस्तक्षेप, वादीगण के उपभोग में मदाखलत, मजाहमत इत्यादि करने से निषेद्ध रहे तथा अपने परिवारजनो, एजेण्ट, सैर्वेण्ट, प्रतिनिधि इत्यादि को भी निषेद्ध रखे ।

बहस वादीगण अधिवक्ता एवं पत्रावली में संग्लन दस्तावेजात का आद्योपान्त अवलोकन किया गया अवलोकन करने पर निष्कर्ष पर पहुचते है कि वादग्रस्त आराजी वाके राजस्व ग्राम शिकारपुरा, पटवार हल्का शिकारपुरा, भू०अ० निरीक्षक क्षेत्र शिकारपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर की सरहद में खाता संख्या नया 186 पुराना 174 के अर्न्तगत स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 928 रकबा 0.14 हैक्टेयर वादीगण के पिता /पति स्व0 रामू पुत्र रामनाथ ने अपने जीवनकाल में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 के पूर्वज स्व0 नानू पुत्र जौधा खातेदार से लिपिवद्ध विक्रय पत्र रामू के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक 10 जून, 1981 (पंजीयन दिनांक 30 जून, 1981) के जरिये क्रय कर मौके पर कब्जा प्राप्त कर लिया था उक्त विक्रय पत्र कार्यालय उप पंजीयक, सांगानेर के यहाँ दिनांक 30 जून, 1981 को पुस्तक संख्या जिल्द संख्या 73 क्रम संख्या 357 पृष्ठ संख्या 149 से 151 पर पंजीबद्ध किया हुआ है। इस प्रकार वादीगण के पिता /पति विवादित भूमि के सदभाविक क्रेता (बोनाफाईड परचेजर) है वादीगण के पिता/पति स्व0 रामू अशिक्षित होने के कारण विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण दर्ज नही हो सका। वादीगण के पिता /पति रामू का देहान्त दिनांक 07.01.2022 को होने के पश्चात स्व0 रामू का विरासत का नामान्तकरण स्वीकृत कराने हेतु वादीगण के हल्का पटवारी से सम्पर्क करने पर पूर्व खातेदार नानू पुत्र जोधा अहिर के वारिसान प्रतिवादीगण के नाम रिकार्ड में दर्ज है। चुकि धादग्रस्त आराजी प्रतिवादीगण के पिता नानू ने वादीगण के पिता रामू को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.06.1981 के बेचान कर मौके पर वास्तविक एवं मालिकाना भौतिक कब्जा सम्भलवा दिया था। पूर्व खातेदार नानू मृतक का विरासत का नामान्तकरण बिना मौका जांच किये दर्ज किया गया जबकि प्रतिवादीगण के पिता नानू द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजी रजिस्टर्ड विक्रय पर द्वारा रामू को बेचान की जा चुकी है। वर्तमान में वादग्रस्त आराजी पर वादीगण का कब्जा काश्त है प्रतिवादीगण का उक्त आराजी बेचान के पश्चात कोई सरोकार व लेना-देना नही रहा है। वादीगण वादग्रस्त आराजी के सदभाविक क्रेता(बोनाफाईड परचेजर) है। वादग्रस्त आराजी पर वादीगण का कब्जा काश्त है। ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर आदेश दिये जाते है कि वाके वाके राजस्व ग्राम शिकारपुरा, पटवार हल्का शिकारपुरा, भू०अ० निरीक्षक क्षेत्र शिकारपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर की सरहद में खाता संख्या

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

नया 186 पुराना 174 के अर्न्तगत स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 928 रकबा 0.14 हैक्टेयर जो कि सांबिक खसरा नम्बर 749/930 रकबा 11 बिस्वा से बने है, के समस्त राजस्व अभिलेखो मे प्रतिवादीगण के नाम की खातेदारी प्रविष्टियो को हजफ किया जाकर प्रतिवादीगण के पिता/दादा नानू द्वारा वादीगण के पिता/पति रामू के पक्ष मे निष्पादित विक्रय पत्र दिनाक 10 जून, 1981 (पंजीयन दिनांक 30 जून, 1981) के आधार पर वादीगण को उक्त कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है प्रतिवादी 1 लगायत 6 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से इस आशय से पावन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी का बैचान, हस्तान्तरण, अनुबन्ध, बख्शीश, वसीयत, रहन, मोरगेज इत्यादि करने से निषेद्ध रहे तथा दीगरान् को आम व खास मुखत्यार नियुक्त करने से निषेद्ध रहे तथा किसी भी प्रकार का कोई हस्तान्तरणीय लेख्य पत्र का निष्पादन व पंजीयन करने/कराने से निषेद्ध रहे तथा शान्तिपूर्वक कब्जे काश्त, उपयोग व किसी प्रकार की बाधा, हस्तक्षेप, वादीगण के उपभोग में मदाखलत, मजाहमत इत्यादि करने से निषेद्ध रहे तथा अपने परिवारजनो, एजेण्ट, सर्वेण्ट, प्रतिनिधि इत्यादि को भी निषेद्ध रखे। मुताबिक निर्णय पर्चा डिक्री पृथक से जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2025 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (साँगानेर),
जयपुर